न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी सुनीता चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 2018/00029 (29/2018) एल.आर. एक्ट

विजय लक्ष्मी पत्नी महीपाल सिंह जाति जाट निवासी वार्ड नं. 11 कस्बा सूजानगढ जिला चूरू।

अपीलान्ट

बनाम

पवन कुमार पुत्र श्री मानसिंह जाति जाट निवासी रामपूरिया तहसील राजगढ जिला चूरू।

रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः
1. श्री राजेश बैद — अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सन्तनाथ योगी — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांकः 17—03—2021

1. यह अपील भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी राजगढ (चूरू) के निर्णय दिनांक 03—05—2018 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट पवन कुमार ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 तथा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 1704 तादादी 1.67 हैक्टर वाके रोही कस्बा राजगढ की पुख्ता निशान देही (पत्थर गढी) कायम करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट पवन कुमार का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपने निर्णय दिनांक 03.05.2018 द्वारा खसरा नं. 1704 तादादी 1.67 हैक्टर की मौका पर पुख्ता पैमाईश चिन्ह से अपीलान्ट व अन्य पड़ोसी खातेदारान की उपस्थिति में की जाकर सीमाओ की पुख्ता निशानदेही दी जाकर सीमा पर पुख्ता पत्थरगढी करवाने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए कहा कि वादगत भूमि मोजारोही कस्बा राजगढ के खसरा नं. 1705 तादादी 0.86 हैक्टर एवं खसरा नं. 1724 तादादी 3.35 हैक्टर कुल तादादी 4.21 हैक्टर अपीलान्ट की खातेदारी भूमि है, जिस पर अपीलान्ट का शान्तिपूर्ण कब्जा काश्त है। मौके पर चारों तरफ पुख्ता सीमाए स्थित है। चारों सीमाओ पर पट्टिया लगाकर कांटेधार तार लगाया हुआ है। रेस्पाडेन्ट अपनी वाके रोही कस्बा राजगढ का खसरा नं. 1704 तादादी 1.67 हैक्टर बताता है, लेकिन वास्तव मे ना तो उसका कही कब्जा है, ना ही मौके पर खसरा नं. 1704 की कोई भूमि है एवं ना कभी रही। अपीलान्ट की अपनी खातेदारी भूमि पर शान्तिपूर्ण कब्जा काश्त है जिसे सीमा चिन्ह (पत्थर गढी) के नाम से जबरन बेदखल नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र बाबत पेमाईश व सीमाकन करवाकर पत्थर गढी के पावधानो के अन्तर्गत संधारण योग्य नही था अपितु अतिक्रमण से संबधित था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत धाराओ में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने गलती की है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावें। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में The Rajasthan Manual Sec. 108 पृष्ठ 478 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस कें दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमो के अन्तर्गत ही पत्थरगढी का आदेश दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय कें समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने खातेदारी कृषि भूमि ख. न. 1704 तादादी 1.67 हैक्टर के लिए पत्थर गढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने योग्य टीम गठित करके अपीलान्ट एवं अन्य पड़ोसी खातेदारान की उपस्थिति मे सीमाओं की पुख्ता निशानदेही दी जाकर सीमा पर पुख्ता पत्थरगढी करवाने के आदेश दिये है जो सही है। रेस्पोडेन्ट अपनी जमीन की पत्थर गढी की मांग कर रहा है। प्रत्येक खातेदार को कानूनी अधिकार हासिल है कि वह अपने खातेदारी खेत के चारो तरफ पत्थरगढी करा सके इससे किसी अन्य को कोई रूकावत करने का अधिकार नही होने के कारण अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश पूर्णतया कानून सही है। इसके अलवा न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 04.12.2019 द्वारा अपीलान्ट विजय लक्ष्मी की अपील खारिज की है। अतः अपीलान्ट की अपील निरस्त की जावे।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन किया। उपलब्ध दस्तावेजात, पत्रावलियो एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है:–

अपील में मुख्य विवाद पैमाइश व पत्थरगढी करवाने के सबन्ध में है:–

अपीलाधीन आदेश राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति में भिन्नता की जानकारी होने पर किसी एक पक्षकार की दरख्वास्त पर सीमाज्ञान एव पत्थर गढी करवाने के लिये जारी किया गया है। भूमि के सीमा विवादों में रिकार्ड व मौके की स्थिति की पैमाइश करना तथा उक्त पैमाइश के आधार पर पुख्ता सीमा चिन्ह स्थापित करना भू अभिलेख अधिकारी का दायित्व है। यदि किसी पक्षकार की सीमांकन की कार्यवाही के दौरान आपत्ति हो तो सीमांकन करने वाले अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है। इस आड़ में कार्यवाही शुरू करने की उसकी वैधानिकता को चुनौति नहीं दी जा सकती। अपीलान्ट चाहे तो अपनी स्वय की भूमि का भी सीमा ज्ञान या पत्थर गढी करवाने के लिये आवेदन कर सकते है। अपीलान्ट ने मात्र संभावनाओं के आधार पर अपील पेश की है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 17–03–2021 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

17/3/2021.

(सुनीता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर